

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राज—पत्र	RAJASTHAN GAZETTE
	विशेषांक	Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	<i>Published by Authority</i>
माघ 4 गुरुवार, शाके 1934—जनवरी 24, 2013		
<i>Magha 4, Thursday, Saka 1934—January 24, 2013</i>		

भाग 4 (ग)

उप—खण्ड (II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य—प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये
कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं।

वित्त (जी एण्ड टी) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जनवरी 24, 2013

एस.ओ. 217:— राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं० 21) की धारा 1 की उप—धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इसके द्वारा 26 जनवरी, 2013 को, उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम के समस्त उपबन्ध प्रवृत्त होंगे।

[संख्या प.1(8)वित्त/साविलेनि/2011]

राज्यपाल के आदेश से,

अखिल अरोरा,

शासन सचिव,

वित्त (बजट)।

FINANCE (G & T) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Jaipur, January 24, 2013

S.O. 217.- In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 (Act No. 21 of 2012), the State Government hereby appoints 26th January, 2013 as the date, on which all the provisions of said Act shall come into force.

[No.F1(8)FD/GF&AR/2011]

By order of the Governor,

Akhil Arora,

Secretary to the Government,

Finance (Budget).